मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय,भोपाल

क्रमांक एफ–8/2009/नियम/चार भोपाल दिनांक 21/06/2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष,राजस्व मंडल,ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषयः–मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के अंतर्गत विकल्प पुनरीक्षित करने के फलस्वरूप उद्भूत होने वाली वसूली के संबंध में ।

संदर्भः–इस विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 01 अप्रेल 2011

--0--

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 8/2009/नियम/चार दिनांक 01.04.2011 द्वारा म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के अंतर्गत पुनरीक्षित वेतनमान हेतु दिनांक 30.06.2011 तक पुनः विकल्प प्रस्तुत करने की सुविधा दी गई है। कुछ विभागों द्वारा यह ध्यान में लाया गया है कि पुनरीक्षित वेतनमान में पुनः प्रस्तुत विकल्प से कुछ प्रकरणों में पूर्व विकल्प के आधार पर भुगतान किये गये एरियर्स की वसूली की स्थिति निर्मित हो रही है । अतः इस अधिक भुगतान की राशि की वसूली/समायोजन के लिये निम्नानुसार कार्यवाही की जाये :–

(1) पुनरीक्षित वेतनमान का संशोधित विकल्प मान्य करने के पूर्व वेतन एरियर्स की राशि पर पड़ने वाले प्रभाव की गणना की जाये । यदि इस गणना के फलस्वरूप एरियर्स की राशि में कमी हो रही है तो उसका समायोजन प्रथमतः आगामी देय किस्तों से किया जाये।

(2) यदि उपरोक्त कंडिका एक अनुसार पूर्ण राशि की वसूली संभव नही है तो शेष राशि की वसूली हेतु शासकीय सेवक को निम्नांकित विकल्प दिये जा सकते है:–

(अ) अधिक भुगतान की राशि शासकीय कोष में एक मुश्त जमा कराये, **अथवा**

(ब) अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली , अगले माह के वेतन से, वेतन देयक की सकल राशि के 1/3 भाग के बराबर राशि की कटौती करने की सहमति प्रदान करें। यह कटौती तब तक की जावेगी जब तक कि पूर्ण राशि वसूल नहीं हो जाती ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(एस.एन.मिश्रा)
सचिव
म0प्र0 शासन, वित्त विभाग

पृष्ठां.कमांक F 8/2009/नियम/चार भोपाल दिनांक 21/06/2011
प्रतिलिपिः—

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव,राजभवन भोपाल
2. प्रमख सचिव,मध्यप्रदेश,विधानसभा,भोपाल
3. निबंधक,उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
4. प्रमख सचिव,मुख्यमंत्री,मुख्यमंत्री सचिवालय,भोपाल
5. सचिव,लोक सेवा आयोग इन्दोर
6. सचिव,लोकायुक्त,मध्यप्रदेश भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्य मंत्री मध्यप्रदेश भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,मध्यप्रदेश भोपाल
9. सचिव,राज्य निर्वाचन आयोग,मध्यप्रदेश भोपाल
10. रजिस्ट्रार,मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता,मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर
12. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/आडिट–1/2 मध्यप्रदेश ग्वालयर/भोपाल
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश भोपाल
14. प्रमख सचिव/सचिव/उप सचिव,सा.प्र.विभाग भोपाल
15. आयुक्त,जनसंपर्क संचालनालय,मध्यप्रदेश भोपाल
16. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय,भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशन के लिये
17. अवर सचिव सा.प्र.वि.स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी मंत्रालय भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,कोष लेखा एवं पेशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य,लेखा प्रशिक्षण शाला,मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक जनसंपर्क प्रकोष्ठ,मंत्रालय भोपाल
23. अध्यक्ष,मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष–84 मंत्रालय भोपाल
24. अध्यक्ष,शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघों
25. सभी कोषलाय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी
26. गार्ड फाईल

(अजय चौबे)
अवर सचिव
म0प्र0 शासन,वित्त विभाग